कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3 / 2023 / 2529 लखनऊःदिनांक 18 अक्टूबर 2023

यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 के ऑन–लाइन स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय / चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया नामित नोडल सेन्टरो पर सम्पन्न की जायेगी।
3. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल शैक्षिक / श्रेणी / उपश्रेणी एवं अन्य प्रमाण–पत्र के साथ आवंटित मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय / नोडल सेन्टर / चिकित्सालय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
5. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत हो जमा किया जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट www.dgme.up.gov.in एवं www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है।
6. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाना अनिवार्य है।
7. उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय दिनांक 01 अप्रैल 2023 अथवा इसके पश्चात् का निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
8. अद्यतन / महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgmeup.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक।